दिनांक 25/4/25 का पक्ष [illegible]

25/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनु.। वकील प्रार्थी को बार-2 आवाजें दिलवाई गई परंतु वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं हुए इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना 09R3 सपठित 17 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रूम नम्बर 15 कर दी। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]